

29



## न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, गवालियर

प्र0क0 निगरानी-6360/2018/होशंगाबाद/भू-रा0

मेरी रजनी वर्षिष्ठ श्री  
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हतु  
दिनांक 6-12-18 स्थित।

कलाक आफ कोड  
राजस्व मण्डल, म.प्र. गवालियर 8  
26/11/18

R-VB  
26/11/18

श्रीमती यशोदा बाई पुत्री कन्हैयालाल  
चौकसे, निवासी - वनखेड़ी, तहसील  
वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, म0प्र0

— आवेदिका

### विरुद्ध

- 1- नंदराम चौकसे,
- 2- दुर्गाप्रसाद पुत्रगंण कन्हैयालाल चौकसे,  
दोनों निवासी - ग्राम मुर्गीढाना,  
तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद,  
म0प्र0

— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.08.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 390/अपील/2017-18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 115,116 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा कोठारी, तहसील वनखेड़ी स्थित

M

न्यायालय सांख्यिक मण्डल, म० प्र० ग्राह्यतिवास

आमुमृति आमेश्वरा पूर्ण

प्रकरण क्रमांक-निगरानी 6360/2018/होशंगाबाद/भूसा.

रक्षात्मक तथा  
दिनांक

कार्यपाली तथा आमेश्वरा

प्रकाशनराज एवं  
अमिता अड्डे  
आमिति के  
हस्ताक्षर

6-12-18

आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। 2—आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी में पर्याप्त आधार होने से ग्राह्य की जाती है। अनावेदक को सूचना दी जावे। अभिलेख की मांग की जावे।

पेशी दिनांक

सदस्य

पुनश्च:

यह निगरानी भूल वश ग्राह्य कर ली गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त नर्मापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 391/अप्र० 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.8.18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.11.18 को प्रस्तुत की गई है।

2—म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-

धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—

(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अप्र० में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है।

सदस्य

R.V.S  
27/11/18

मूल दृष्टि  
प्र० 2018

R.V.S  
7/12/18

चक्कर 2018